


उपरोक्त कार्य/अपराधी उप./अनु.पत्रावली
राजस्थान लोक अदालत प्र.पं. कोटा
में दिनांक 6 को पेश में
27/8 उपखण्ड अधिकारी, टोंक

राजिस्त्र लोक अदालत
न्याय आणकें डार-2018
शिक्तिर कोटा
पत्रावली उप./अनु.पत्रावली/अपराधी उप./अनु.
पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई पत्रावली से समझाई
गई परन्तु राजीनामा नहीं हुआ।
अतः पत्रावली दि. 8 को न्यायालय में पेश में।
27/8 उपखण्ड अधिकारी, टोंक

27/8/18

~~पत्रावली पेश हुई करीब वारी अनुपस्थित/कार-कार
गानाफे लागवापी गयी, अतः वारी रूप करीब उपस्थित
जदि हुन है ततः एम तरफा नार्पवादी से चानी है
पत्रावली वाड वारी अनुपस्थित व अनुपस्थित से
शकारित किया जाता है पत्रावली निरस्त हुआ है
अतः एम को~~


(श्री. अ. शर्मा)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)